ISSN- 2350-0530(O), ISSN- 2394-3629(P)
DOI: https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v7.i4.2019.895

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH – GRANTHAALAYAH
A knowledge Repository

Social

लोकतंत्र की मज़बूती के हित में सत्रहवीं लोकसभा चुनाव –2019 के चुनावी घोषणा–पत्रों में भारतीय भाषाएँ

डॉ. श्रीमती अनुराधा शर्मा [1]

[1] सहायक व्याख्याता, पत्रकारिता एवं जनसंचार, ऑल्टियस इंस्टिट्यूट ऑफ प्रोफेंशनल स्टडीस, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

मुख्य शब्द – लोकतंत्र, लोकसभा चुनाव, भारतीय भाषाएँ

Cite This Article: डॉ. श्रीमती अनुराधा शर्मा. (2019). "लोकतंत्र की मज़बूती के हित में सत्रहवीं लोकसभा चुनाव –2019 के चुनावी घोषणा–पत्रों में भारतीय भाषाएँ." *International Journal of Research - Granthaalayah*, 7(4), 255-260. https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v7.i4.2019.895.

सारतत्व

लोकतंत्र लोक की भावनाओं का आदर करने वाली व्यवस्था है। लेकिन भारत के संदर्भ में कुछ अनुभव इसके विपरीत है। यहां लोकतंत्र के नाम पर व्यवस्था को 'लोक' की भाषा से दूर करने वाले 'तंत्र' लगातार हावी रहे हैं। इस दृष्टि में उसे सच्चा और अच्छा लोकतंत्र कहते हुए शब्द ठिठकते है। प्रशासन की लोक भाषा से दूरी अनेक समस्याओं का मूल है तो न्याय की लोक की भाषा से दूरी बनाये रखने की जिद्द न्याय पर प्रश्नचिन्ह लगाती है। इसी का दुष्प्रभाव है कि शिक्षा भी उस भाषा से आलिंगन कर रही है जो लोक भाषा के स्वाभिमान को नकारती है। भारतीय भाषाओं को उनके स्वाभाविक अधिकारों से विमुख करना भारतीय लोकतंत्र का सर्वाधिक नकारात्मक पक्ष है।

भारत राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम करती है भारत की साझा संस्कृति। भारत की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाते हुए आगे बढ़ाने का काम करती हैं हमारी भारतीय भाषाएँ। यदि भारतीय भाषाओं का पराभव हुआ तो भारत की संस्कृति ही नहीं, हजारों वर्षों से अर्जित भारत का तमाम प्राचीन ज्ञान–विज्ञान, अध्यात्म, साहित्य सहित सब कुछ समाप्त हो जाएगा और देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली संस्कृति भी न रहेगी तो राष्ट्रीय एकता के लिए भी शुभ न होगा। आज भारतीय भाषाएँ धीरे धीरे प्रचलन से बाहर होती जा रही हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व पर भारतीय भाषाओं के लिए भाजपा और कांग्रेस के संकल्प पत्र में भारतीय भाषाओं के सन्दर्भ में कुछ बातें कही गई है ।

भूमिका

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी आज तक हर लाभ और प्रभुत्व वाली जगह पर हिंदी/भारतीय भाषाओं की अंग्रेजी के हाथों पिटाई हो रही है और पूरा शासक वर्ग केवल तालियाँ ही बजा रहा है गांधी जी कहते थे कि 'अंग्रेजी की मोहिनी के वश हो कर हम लोग हिंदुस्तान को अपने ध्येय की ओर आगे बढने से रोक रहे हैं'. वे मानते थे कि' समूचे हिंदुस्तान के साथ व्यवहार करने के लिए हम को भारतीय भाषाओं में से एक

ISSN- 2350-0530(O), ISSN- 2394-3629(P)
DOI: 10.5281/zenodo.2653885

ऐसी भाषा की जरूरत है , जिसे आज ज्यादा से ज्यादा तादात में लोग जानते हों और बाकी लोग जिसे झट से सीख सकें. इसमें शक नहीं कि हिंदी ही ऐसी भाषा है'.।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रीय राष्ट्र है। देश के ६० करोड़ मतदाता ११ अप्रैल से १६ मई २०१६ के बीच लोकसभा की ५४३ सीटों के लिए मतदान करेंगे। जेल ५४३ सदस्य विजयी होंगे, उनसे और उनके दलों से ६० करोड़ मतदाताओं की स्पष्ट, नैतिक और लोकतंत्र को पुष्ट करने की दृष्टि से राष्ट्र हितैषी अपेक्षा है;

१. १६५२ से देश का सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न लोकतंत्र का पावन मंदिर लोकसभा है।
२. लोकसभा चुनाव में सभी दलों की ओर से तथा उम्मीदवार भी मतदाताओं की भाषा में बोलकर वोट माँगते हैं। विदेशी भाषा अंग्रेज़ी में बोलकर अब तक कोई व्यक्ति चुनाव में विजयी नहीं हुआ है।
३. लोकसभा और राज्यसभा में सभी सदस्यों को अपने–अपने राज्यों भाषाओं में पूर्व सूचना देकर बोलने की सुविधा उपलब्ध है।
४. संसद में सदस्य अपने मतदाताओं की भाषाओं में बोलते हैं, तो सदन की टी.वी. स्क्रीन पर मतदाता सीधे–सीधे जान सकते हैं कि उनका प्रतिनिधि क्या बोल रहा है ? विदेशी भाषा अंग्रेज़ी भाषा में बोलने से मतदाताओं को मालुम ही नहीं पड़ता है कि उनका चुना हुआ प्रतिनिधि ने क्या बोला है ? अंग्रेज़ी भाषा को पूरे देश में अच्छी तरह से मुश्किल से दो या तीन प्रतिशत लोग ही जानते हैं।
५. जो भी दर्शक लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देखते हैं, उन्हें मालुम है कि सदन में आधे सदस्य अंग्रेज़ी भाषा में बोलते हैं। वे सदन में मतदाताओं के सुख–दुःख को मतदाताओं की भाषा में नहीं बोलते हैं।

समस्या का निरूपण

भारतीय मातृभाषाओं का सवाल केवल भाषा का सवाल नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य को सुनिश्चित करने का सवाल है। भाषा के साथ परम्परा, इतिहास और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण सवाल भी अन्तरंग रूप से जुड़े हुए हैं।

स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र की मज़बूती के हित में लोकसभा के इस चुनाव में सभी राजनैतिक दलों के सभी उम्मीदवार खुले रूप में अपनी प्रचार सामग्री में घोषित कर रहे है कि वे विजयी होने पर लोकसभा में सिर्फ अपने मतदाताओं की भाषाओं में ही बोलेंगे। जनता को सभी सूचनाएँ, व सुविधाएँ कानूनन जनता की भाषा में (देश और राज्य की भाषा में) ही देंगे। सत्रहवीं लोकसभा चुनाव में चुनकर पहुँचने वाले सभी ५४३ सदस्य लोकसभा में अपने–अपने मतदाताओं की भाषाओं को सम्मान देते हुए, उनकी भाषाओं में ही बोलेंगे क्या सच में एसा होगा

शोध विधि

शोधपत्र के लिए विश्लेश्षणात्मक ,अन्वेषणात्मक शोध विधि का उपयोग किया गया। शोध सामग्री के संकलन के लिए प्राथमिक स्रोतों के रूप में चुनाव के विविध कार्यक्रम पढ़कर सुनकर देखकर मीडियाकर्मियों, विशेषज्ञों, लेखकों, संपादकों के साथ ही अन्य व्यक्तियों से विचार विमर्श कर भी विषय का अध्ययन किया गया। द्वितीयक स्रोतों का लिए विभिन्न समाचार पत्र पुस्तकें, शोध सामग्री ,इन्टरनेट, का अध्ययन कर उपयोग किया गया।

ISSN- 2350-0530(O), ISSN- 2394-3629(P)
DOI: 10.5281/zenodo.2653885

भाजपा और कांग्रेस के संकल्प पत्र में भारतीय भाषाओं के सन्दर्भ में कही गई बातें

सभी राजनीतिक दलों ने विचार–विमर्श के पश्चात अपना उपर्युक्त चुनावी घोषणा –पत्र तैयार किया है। जिसमे भारतीय भाषाओं के सन्दर्भ में कही गई बातें इस प्रकार है

भारतीय जनता पार्टी – संकल्प पत्र – लोकसभा २०१६

3 हम भारत की लिखी और बोली जाने वाली सभी भाषाओं तथा बोलिओं की वर्तमान स्थिति का अध्यन करने के लिये राष्ट्रिय स्तर पर के कार्यबल का गठन करेंगे भारतीय भाषाओं तथा बोलिओं के पुनरुध्हार और सम्वर्धन के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे।
4 संस्कृत भाषा पर विशेष ध्यान देते हुए हम सुनिषित करेंगे की स्कूली स्टार पर संस्कृत की शिक्षा का विस्तार हो इसके आलावा संस्कृत में अनुसनधान को बढ़ावा देने के लिए शोधार्थियों व विद्नानों के लिए १०० पाणिनि फेलोशिप की शुरुआत करेंगे ।
5 हम अनुसन्धान मिशन आरम्भ करेंगे जिससे विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी और मानविकी में अंग्रेजी की सामग्री का किसी भी अन्य भाषा में तुरंत अनुवाद हो सकेगा , जिससे देश में प्रत्येक छात्र को सर्वश्रेष्ठ सामग्री दो भाषओं में उपलब्ध होगी ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस घोषणा – पत्र लोकसभा चुनाव २०१६

4 कांग्रेस संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल की गई या नही की गई सभी भाषाओं को सरंक्षण ओर बढ़ावा देने का वादा करती है जहाँ तक सम्भव होगा अनुसूचित जनजातियों और घुमंतू जनजातियों की भाषाओ सहित , एसी सभी भाषाओ के उपयोग को , ऐसे इलाको में , जहाँ ऐसी भाषाएँ लोगो द्वारा व्यापक रूप से बोली जाती है , प्रशाशन के बोलचाल में प्रोत्साहित करेंगे ।
5 हम सांकेतिक भाषा के उपयोग का समर्थन करते है , जिसका इस्तेमाल लाखों दिव्यांगजन अपने रोजमर्रा के जीवन में करते है ।
6 कांग्रेस इस सिध्दांत का समर्थन करती है की स्कूली शिक्षा बच्चे की मात्रभाषा में सर्वोत्तम रूप से दी जा सकती है , और शिक्षा के पसंदीदा माध्यम के रूप में मातृभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए , राज्य सरकारों की कोशिशो का समर्थन करने का वादा करती है, ।
7 हम राज्यों में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ राज्य की अधिकारिक भाषा(ओ) को सिखाने पढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों का भी समर्थन करेंगे ।

भारत, भारतीय भाषाओं और भारतीयता के लिए मंथन, सुझाव और समस्या का समाधान

विश्वास है कि कुछ ही सालों में भारतीय मातृ भाषा संग्रामी भारतीय मातृभाषाओं का वर्चस्व स्थापित करने में अवश्य कामयाब होंगे । देश पूज्य बापू की डेढ सौवीं जयंती मना रहा है , इस अवसर पर भाषा के लम्बित सवाल पर विचार करना और औपनिवेशिक मानसिकता से उबर कर अंग्रेजी के घोषित साम्राज्यवाद से सच्ची मुक्ति होगी।
कुछ सुझाव हमारे सम्मुख है। इस का प्रत्येक बिन्दू सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में सहायक होगा। इसलिए प्रत्येक राजनैतिक दल को इसे अंगीकार करना चाहिए और सत्ता में आते ही इसे अक्षरशः लागू करना चाहिए। इसके अंतर्गत –

1. संघ की राजभाषा को संघ की राष्ट्रभाषा बनाया जाए अर्थात् अधिकृत राष्ट्रीय संपर्क भाषा तथा राज्यों की राजभाषाओं को राज्यों की राज्यभाषा अर्थात राज्यों की अधिकृत संपर्क भाषा बनाया जाए।
2. सभी निर्वाचित लोकसभा सदस्य सदन में अपनी अभिव्यक्ति भारतीय भाषाओं में ही करें।

ISSN- 2350-0530(O), ISSN- 2394-3629(P)
DOI: 10.5281/zenodo.2653885

3. संसद में प्रस्तुत किये जाने वालें सभी विधेयक एवं काग़ज़ात मूलतः संघ की भाषा में तैयार किए जाएँ एवं आवश्यकतानुसार उनका अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाए।
4. सभी स्तरों पर सभी भाषाओं में अधिकृत रूप से भारत राष्ट्र का नाम 'इण्डिया' की के बजाए 'भारत' ही किया जाना चाहिए।
5. संघ सरकार के सभी संकल्प, अधिनियम, नियम एवम् आदेश आदि मूलतः राजभाषा हिंदी में तथा राज्यों के सभी संकल्प, अधिनियम, नियम एवम् आदेश आदि मूलतः राज्यों की भाषा में तैयार किए जाने चाहिए। आवश्यकतानुसार इनका अनुवाद किया जाए। जनसंचार माध्यमों में इनके प्रचार की भाषा प्रमुख रूप से संघ एवम् राज्यों की राजभाषाएँ होनी चाहिए।
6.. सरकार की सभी योजनाओं, कार्यक्रमों एवम् भवनों आदि के नाम संघ स्तर पर संघ की राजभाषा में तथा राज्य स्तर पर राज्यों की भाषाओं में सुनिश्चित किए जाने चाहिए। कार्यालयों आदि के नाम भी भारतीय भाषाओं में होने चाहिए। इनमें 'इण्डिया' के स्थान पर 'भारत' शब्द का प्रयोग किया जाए।
7. राजभाषा संकल्प 1968 में वर्णित त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. संघ सरकार से राज्य सरकारों को किया जाने वाला पत्राचार संघ की राजभाषा में ही किया जाए एवम् आवश्यकतानुसार उसका अनुवाद राज्य की राजभाषा में दिया जाए।
9. सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों में संघ एवम् संबंधित राज्य की राजभाषा के प्रयोग के उपबंध किए जाएँ, एवम् सर्वोच्च न्यायालय में भी संघ की राजभाषा में याचिका, सुनवाई एवम् निर्णय के उपबंध किए जाएँ।
10. संघ एवं राज्यों के विभिन्न क़ानूनों के अंतर्गत दी जाने वाली सूचनाओं की भाषा संघ एवं संबंधित राज्य की राजभाषा होनी चाहिए
11. पूरे देश में निजी एवम् शासकीय विद्यालयों सहित सभी विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्यतः भारतीय भाषाओं में दी जाए।
12. भारतीय भाषाओं के माध्यम से उच्च शिक्षित विद्यार्थियों को संघ एवम् राज्यों की सरकारों द्वारा सेवाओं में प्राथमिकता दी जाए तथा उच्चशिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से दिए जाने की व्यवस्था की जाए।
13. जनसंचार माध्यमों (मीडिया) के अनियंत्रित अंग्रेजीकरण व देवनागरी तथा भारतीय लिपियों के रोमनीकरण को नियंत्रित करने के लिए एक नियामक सँस्था गठित की जाए, जिसमें मीडिया तथा भारतीय भाषाओं के विद्वानों को सम्मिलित किया जाए।
14. इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों पर देवनागरी लिपि एवं अन्य भारतीय लिपियों के प्रयोग के लिए इनस्क्रिप्ट की–बोर्ड का प्रशिक्षण माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा में अनिवार्यतः शामिल किया जाए।
15. देश एवं राज्यों के स्तर पर जनता की सूचना व प्रयोग के लिए बनाई जानेवाली सभी कंप्यूटर प्रणालियों (आई.टी. समाधान, वेबसाइट, ऑनलाइन सेवाएँ आदि) में भारतीय भाषाओं का समावेश अनिवार्यतः किया जाए।
16 भारतीय भाषाओं की मांग को लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग के रूप में प्रस्तुत करने और राजनीतिक दबाव में बदले
17 उच्च शिक्षा का माध्यम भी देशी भाषाएँ हों।
18 जन भाषा , कार्य भाषा ,शिक्षा का माध्यम एवं वैज्ञानिक शोध का माध्यम एक होना है – इस विषय पर चिंतन आवश्यक है।

उपसंहार

हिंदी के ऊपर राजनीति करते हमें एक ज़माना हो गया। पर यह स्थिति सुधरी नहीं। हाँ एक संचेतना में बदलाव अवश्य आया है जबसे श्री मोदी जी ने इसको अपनाया। घर में पुरुष वर्ग अब हिंदी की खबरें अधिक चाव से सुनता है। और इसके साथ ही उनकी शब्दावली का विस्तार भी हुआ है।

कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने घोषणा पत्रों में भाषा की बात रखी है। उपर्युक्त राष्ट्रीय स्तर के दोनों राजनीतिक दलों द्वारा अपने चुनाव संकल्प पत्र और चुनाव घोषणापत्र में भारतीय भाषाओं के बारे में जो कहा गया है उसमें दो बातें नजर आती हैं।

ISSN- 2350-0530(O), ISSN- 2394-3629(P)
DOI: 10.5281/zenodo.2653885

1. भारतीय भाषाओं के नाम पर जो कहा गया है उसमें कोई ठोस बात नहीं है। केवल औपचारिकता का निर्वाह किया गया प्रतीत होता है।

2. भारतीय भाषाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा निरंतर उठाई जा रही आवाज और किए जा रहे प्रयासों और एकजुटता का ही परिणाम है कि शायद पहली बार दोनों राष्ट्रीय दलों द्वारा भारतीय भाषाओं के मुद्दे को शामिल किया गया है।

विडंबना यह है कि स्वतंत्र भारत में यही दो दल ज्यादा समय तक केन्द्र की सत्ता में रहे हैं। कांग्रेस की ही मेहरबानी है जो आज राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अभिशाप हम झेल रहे हैं। संस्कृत–बहुत शब्दावली के प्रयोग वाले अनूदित साहित्य को नेहरूजी ने स्लॉट मशीन से किया गया अनुवाद कहा। वे एक प्रकार से संस्कृत–विरोधी थे। श्री दीनदयाल उपाध्याय ने इसकी जोरदार मुखालफत की। आज देश में हिन्दी ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं की स्थिति निरन्तर बिगड़ रही है। संस्कृत के लाखों शिक्षक हैं, किन्तु 2011 की जनगणना में केवल 14000 के करीब लोगों ने उसे अपनी मातृ–भाषा घोषित किया। वह केवल अनुष्ठानों की भाषा बनकर रह गयी है।

निष्कर्ष

राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण ही आज देश की भाषाओं की दुर्गति हो रही है। कंप्यूटर आदि पर हिन्दी व इतर भारतीय भाषाएं विद्यमान हैं तो इसलिए कि इस काम में बहुत–से प्रौद्योगिकी–विद और भाषा–प्रेमी जुटे हुए हैं। सरकारी प्रयास तो लगभग नगण्य ही हैं। और सरकार में जो लोग राजभाषा का काम देखते हैं, वे हिन्दी का काम न करते तो शायद हिन्दी और बेहतर स्थिति में होती।

सत्रहवीं लोकसभा चुनाव में चुनकर पहुँचने वाले सभी ५४३ सदस्य लोकसभा में अपने–अपने मतदाताओं की भाषाओं को सम्मान देते हुए, उनकी भाषाओं में ही बोलेंगे, तो भारत की लोकसभा या लोकतंत्र सीधा–सीधा मतदाताओं से जुड़ जाएगा। संसद जनता का सच्चा दर्पण बन जाएगी।

संदर्भ

[1] http://www.ncert.nic.in
[2] http://hi.wikipedia.com
[3] http://www.pustak.org
[4] http://www.saralhindi.com
[5] http://books.hinkhoj.com
[6] http://sehatnama.mia.litk.ac.in
[7] http://hi.shvoong.com
[8] http://www.careersalah.com
[9] http://www.nirog.info
[10] http://www.traditionalmedicine.agoodplace4all.com
[11] http://takneek.com
[12] http://www.vivekvaishnav.blogspot.com
[13] http://www.careerdisha.org
[14] http://hi.wikibooks.org
[15] NCERT) (http://books.hinkhoj.com/catid
[16] http://www.ignou.ac.in/webhindi/index.htm
[17] http://vrihad.com.5200/bs/home.bhp

ISSN- 2350-0530(O), ISSN- 2394-3629(P)
DOI: 10.5281/zenodo.2653885

[18] http://www.manoveda.com
[19] http://praveensahu.webs.com
[20] http://www.akshyajeevan.com
[21] http://www.litk.ac.in/hindi
[22] http://www.lawentrance.com/hi/
[23] http://www.newudaan.blogspot.com
[24] http://blenderhindi.wikidot.com
[25] http://www.gssshmgi.org
[26] http://www.litb.ac.in/hindi
[27] http://www.litd.ac.in/hindi/index/html
[28] http://hindi.ignou.ac.in
[29] http://www.mymail.litkgp.ernet.in/jharokha
[30] http://eci.gov.in

*Corresponding author.
E-mail address: anuradha.sharma@ altius.ac.in